राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 8382/2013

अंजना कुमारी मीना, पत्नी श्री मुकेश मीना, उम्र 30 वर्ष, निवासी एफ-30, नंदपुरी कॉलोनी, स्वेज फार्म, 22 गोदाम, जयपुर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य प्रबंध निदेशक, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
2. निदेशक, कॉर्पोरेट मामले, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
3. राजस्थान सरकार- मुख्य सचिव, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री संचित ताम्र श्री मुकेश कुमार मीना
प्रत्यर्थीगण की ओर से	:	श्री एस.एस.राघव, एएजी, श्री अनिरुद्ध सिंह राघव श्री मनंजय सिंह राठौड़ के साथ श्री संदीप पाठक, सुश्री जया राठौड़, सुश्री वर्तिका मेहरा

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

आदेश आरक्षित करने की तिथि : 10/04/2023

आदेश उच्चारित करने की तिथि : 27/04/2023

रिपोर्टेबल

निर्णय

(1) याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह रिट याचिका दायर की है:-

> "अंत:, प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय विनम्र याचिकाकर्ता द्वारा दायर इस रिट याचिका को स्वीकार करने और

अनुमति देने की कृपा करे;

(i) 15.10.2012 को राजस्थान पत्रिका और ऑनलाइन में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार ग्राहक संबंध सहायक के पद पर संपूर्ण चयन और नियुक्ति को न्याय को सुरक्षित करने के लिए अवैध, मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करते हुए रद्द कर दिया जाए।

(ii) प्रत्यर्थियों को सभी परिणामी लाभों के साथ राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण कोटा के अनुसार जेएमआरसी में ग्राहक संबंध सहायक के पद पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति करने का निर्देश दिया जाए या वैकल्पिक रूप से यह प्रार्थना की जाती है कि जेएमआरसी द्वारा प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए क्योंकि यह सरकार की आरक्षण नीति के विपरीत है;

(iii) कोई अन्य आदेश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जो उपयुक्त और उचित मानता है, वह भी याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया जा सकता है;

(2) संक्षेप में, इस याचिका में उठाए गए विवाद की सराहना के लिए आवश्यक आवश्यक भौतिक तथ्यों पर पहले ध्यान देने की आवश्यकता है।

(3) जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में "जेएमआरसी") द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जनजाति महिला की श्रेणी के तहत ग्राहक संबंध सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उसे क्रम संख्या 3 पर आरक्षित प्रतीक्षा सूची में रखा गया था।

(4) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि कुल मिलाकर पचास पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन अनुसूचित जनजाति (संक्षिप्त रूप से "एसटी") के उम्मीदवारों के लिए केवल पांच पद आरक्षित थे। अधिवक्ता का कहना है कि आरक्षण नीति के अनुसार, एसटी उम्मीदवारों के लिए 12% पद आरक्षित होना आवश्यक है, जो छह पद होते हैं। अधिवक्ता का कहना है कि एसटी उम्मीदवारों के लिए एक और पद उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, वह भी महिलाओं के लिए, क्योंकि प्रत्येक श्रेणी में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। यदि एसटी वर्ग को एक और पद दिया जाता है, तो राउंडिंग के सिद्धांत को लागू करके एसटी महिला उम्मीदवारों के लिए दो पद होंगे। अधिवक्ता का कहना है कि राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (सरकार में शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और सेवाओं में नियुक्तियों और पदों) की धारा 4 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए सरकार) अधिनियम 2008 के तहत, सरकार ने दिनांक 18.9.2009 की अधिसूचना जारी करके सरकार (रोस्टर) नियम, 2009 (संक्षेप में "2009 के नियम") के तहत सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का राजस्थान आरक्षण तैयार किया है। अधिवक्ता का कहना है कि सीधी भर्ती के लिए पदों के संदर्भ में आरक्षण का मॉडल रोस्टर 2009 के नियमों के नियम 4 के अनुसार अनुसूची-I के रूप में संलग्न किया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि 2009 के नियमों की अनुसूची-I के अनुसार, पचास पदों के लिए सीधी भर्ती में 12% आरक्षण नीति के अनुसार एसटी उम्मीदवारों के लिए पचास पदों में से छह पद होंगे। अधिवक्ता का कहना है कि 18.9.2009 की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए एसटी उम्मीदवारों के लिए छह पद आरक्षित करने के बजाय केवल पांच पद आरक्षित किए गए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, या तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाए या प्रतिवादियों को एसटी महिला उम्मीदवारों के लिए एक पद प्रदान करने और याचिकाकर्ता को परिणामी लाभ के साथ इस पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया जाए।

(5) इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अधिसूचना दिनांक 18.9.2009 को सरकार ने 2008 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करके पारित किया था। कैप्टन गुरविंदर सिंह बनाम राजस्थान सरकार 2011 (1) आरएलडब्ल्यू 697 के मामले में उक्त अधिनियम के प्रावधानों को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, और दिनांक 22.12.2010 के निर्णय के तहत इस न्यायालय की खंडपीठ ने सरकार को इसे प्रभावी न करने का निर्देश दिया था। 2008 के अधिनियम की धारा 3 और 4 अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में इस अधिसूचना दिनांक 18.9.2009 के प्रभाव पर रोक लगा दी गई है। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थियों ने परिपत्र दिनांक 24.6.2008 को लागू किया है और इस परिपत्र के रोस्टर बिंदु प्रणाली के अनुसार, विज्ञापित पदों की कुल संख्या अर्थात पचास को देखते हुए एसटी उम्मीदवारों के लिए पांच पद आरक्षित किए गए थे। अधिवक्ता का कहना है कि यदि इक्यावन पद विज्ञापित होते तो रोस्टर बिंदु संख्या इक्यावन के अनुसार एसटी अभ्यर्थियों के लिए छह पद आरक्षित होते। अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, परिपत्र दिनांक 24.6.2008 के अनुसार, कुल पचास पदों के मुकाबले एसटी उम्मीदवारों के लिए पांच पद आरक्षित करते समय प्रत्यर्थियों द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है।

अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और जब वह असफल रही, तो उसने यह रिट याचिका दायर करके ये दलीलें उठाईं। अधिवक्ता का कहना है कि प्रक्रिया में भाग लेने के बाद याचिकाकर्ता विज्ञापन में निर्धारित आरक्षण के मानदंडों को चुनौती नहीं दे सकती। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

(i) भारत संघ बनाम एस. विनोद कुमार (2007) 8 एससीसी 100

(ii) चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शर्मा (2002) 6 एससीसी 127

अधिवक्ता का कहना है कि इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

(6) बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना और उन पर विचार किया और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

(7) निर्विवाद तथ्य यह है कि ग्राहक संबंध सहायक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थियों द्वारा कुल मिलाकर पचास पद विज्ञापित किए गए थे, जिनमें से पांच पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। यह तथ्य विवादित नहीं है कि याची ने खुली आंखों से विज्ञापन पढ़कर चयन प्रक्रिया में भाग लिया और असफल रही। याचिकाकर्ता अपनी श्रेणी के कट-ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर सकी और उसके अंकों के आधार पर उसे प्रतीक्षा आरक्षित सूची में रखा गया। अब इस स्तर पर, याचिकाकर्ता समझदार हो गई और उसने पूरी चयन प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती दी है कि आरक्षण नीति के अनुसार पदों का विज्ञापन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में किसी भी चयनित अभ्यर्थी को पक्षकार नहीं बनाया है।

(8) यह एक सुस्थापित विधिक स्थिति है कि जहां किसी व्यक्ति ने चयन से संबंधित मानदंडों और नियमों को चुनौती दिए बिना चयन की प्रक्रिया में भाग लिया, असफल होने की स्थिति में, उसे चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है या चयन के मानदंड. इस संबंध में, मोहम्मद के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की हालिया न्यायिक घोषणा मुस्तफा बनाम भारत संघ (2022) 1 एससीसी 294, में निर्धारित विधिक स्थिति को निम्नानुसार बहाल किया गया:-

"इस संदर्भ में, हमें यह जांचना होगा कि क्या अपीलार्थियों को पैनल

समिति द्वारा की गई सिफारिशों को चुनौती देने से रोका गया है, इस तथ्य को देखते हुए कि उन्होंने एक परिकलित मौका लिया था, और चयन पैनल के सार्वजनिक होने तक विरोध नहीं किया था। हमारी राय में, मदन लाल और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर सरकार और अन्य में अनुपात वर्तमान मामले में लागू होगा क्योंकि जब कोई व्यक्ति मौका लेता है और भाग लेता है, उसके बाद वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि परिणाम अप्रिय है। दलील दी गई कि प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया था। निस्संदेह, यह निर्णय उस मामले से संबंधित है जहां याचिकाकर्ता एक खुले साक्षात्कार में उपस्थित हुआ था, हालांकि, अनुपात वर्तमान मामले पर लागू होगा क्योंकि याचिकाकर्ता ने भी दावे के बावजूद एक परिकलित मौका लिया था, वह भी बिना किसी विरोध के। और फिर देर से ही सही लेकिन पक्षपात की दलील तभी उठाई जब उनकी सिफारिश नहीं की गई थी। मदनलाल (सुप्रा.) में निर्णय ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला में इस न्यायालय के पहले के निर्णय को संदर्भित करता है, जिसमें याचिकाकर्ता जो बिना किसी विरोध के परीक्षा में उपस्थित हुआ था, उसे कोई राहत नहीं दी गई थी, क्योंकि उसने याचिका तब दायर की थी जब उसने बाद में परीक्षा में सफल नहीं हो सके। इस सिद्धांत को मनीष कुमार शाही बनाम बिहार सरकार और रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी में दोहराया गया है।"

(9) अशोक कुमार बनाम बिहार सरकार (2017) 4 उच्चतम न्यायालय केस 357 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक और हालिया न्यायिक घोषणा, इस प्रकार है:-

"12. अपीलार्थियों ने चयन की नई प्रक्रिया में भाग लिया। यदि याचिकाकर्ता नई प्रक्रिया आयोजित करने के निर्णय से व्यथित थे, तो उन्होंने अपना समाधान नहीं सुझाया। इसके बजाय, उन्होंने चयन की नई प्रक्रिया में भाग लिया और असफल होने पर ही उन्होंने रिट याचिका में परिणाम को चुनौती दी। यह स्पष्ट रूप से अपीलार्थियों के लिए खुला नहीं था। एस्टोपेल का सिद्धांत लागू होगा।

13. इस न्यायालय के कई निर्णयों में इस विषय पर कानून को स्पष्ट किया गया है। चंद्र प्रकाश तिवारी बनाम शकुंतला शुक्ला मामले में, इस न्यायालय ने यह सिद्धांत दिया कि जब कोई उम्मीदवार बिना किसी आपत्ति के परीक्षा में उपस्थित होता है और बाद में सफल नहीं पाया जाता है, तो प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी जाती है। उस परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता जहां कोई उम्मीदवार उपस्थित हुआ हो और भाग लिया हो। वह बाद में पलट कर यह तर्क नहीं दे सकता कि प्रक्रिया अनुचित थी या उसमें कोई कमी थी, केवल इसलिए कि परिणाम सुखद नहीं है। भारत संघ बनाम एस विनोद कुमार में, इस न्यायालय ने कहा कि: (एससीसी पृष्ठ 107, पैरा 18)।

> "18. यह भी अच्छी तरह से तय है कि जिन उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया को अच्छी तरह से जानते हुए भाग लिया था, वे इस पर प्रश्न उठाने के पात्र नहीं थे। (मुनींद्र कुमार बनाम राजीव गोविल और रश्मी मिश्रा बनाम म.प्र. लोक सेवा आयोग देखें।)"

14. अमलान ज्योति बोर्रोह (2009) 3 एससीसी 227 में भी यही दृष्टिकोण दोहराया गया था, जिसमें यह अच्छी तरह से तय किया गया था कि जिन उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया को पूरी तरह से जानते हुए भाग लिया है, वे असफल होने पर प्रश्न करने के पात्र नहीं हैं।

(10) मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज बनाम के. शिवसुब्रमण्यन (2016) 1 एससीसी 545 के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को पैरा 14 से 18 में निम्नानुसार निपटाया है:-

> "यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति जो सचेत रूप से चयन की प्रक्रिया में भाग लेता है, घूम सकता है और चयन की विधि पर प्रश्न उठा सकता है, अब एक अभिन्न अंग नहीं रह गया है।
>
> डॉ. जी. सरना बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय (1976) 3 एससीसी 585 में, एक समान प्रश्न इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था, जहां तथ्य यह था कि याचिकाकर्ता ने मानव विज्ञान के प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन किया था। लखनऊ विश्वविद्यालय. चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने के बाद लेकिन नियुक्ति नहीं मिलने पर, याचिकाकर्ता पांच सदस्यों वाली चयन समिति में तीन विशेषज्ञों के विरूद्ध पक्षपात की गुहार लगाते हुए उच्च न्यायालय पहुंचा। उन्होंने समिति के गठन पर भी संदेह का आरोप लगाया. विवाद को खारिज करते हुए, न्यायालय ने कहा:
>
> > "15. हालाँकि, हम वर्तमान मामले में पूर्वाग्रह की तर्कसंगतता या पूर्वाग्रह की वास्तविक संभावना के प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता सभी प्रासंगिक तथ्यों को जानता था, उसने साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पहले ऐसा नहीं किया था या साक्षात्कार के समय चयन समिति के संविधान के विरुद्ध अपनी छोटी उंगली भी उठा देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वेच्छा से समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने समिति से अनुकूल अनुशंसा प्राप्त करने का मौका लिया। ऐसा करने के बाद, अब उनके लिए पलटकर समिति के संविधान पर प्रश्न उठाना संभव नहीं है। इस दृष्टिकोण को माणक लाल के मामले [एआईआर 1957 एससी 425] में इस न्यायालय के एक निर्णय से ताकत मिलती है, जहां कमोबेश समान परिस्थितियों में, यह माना गया था कि याचिकाकर्ता की कार्यवाही के पहले चरण में समान याचिका लेने में विफलता के कारण यह स्थिति पैदा हुई।

उसके विरूद्ध छूट के बारे में की गई निम्नलिखित टिप्पणियाँ उद्धृत करने योग्य हैं:

> '9. ....ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता गठित ट्रिब्यूनल से एक अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त करने का मौका लेना चाहता था और जब उसने पाया कि उसे एक प्रतिकूल रिपोर्ट का सामना करना पड़ा है, तो उसने वर्तमान तकनीकी बिंदु को उठाने का तरीका अपनाया।"

मदन लाल बनाम जम्मू-कश्मीर सरकार (1995) 3 एससीसी 486 में, इसी तरह का दृष्टिकोण बेंच द्वारा दोहराया गया है जिसने कहा था:

> "9. इस विवाद से निपटने से पहले, हमें इस मुख्य तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित प्रत्यर्थी होने के नाते प्रतिद्वंदी सफल उम्मीदवार, सभी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आलोक में बुलाए जाने के पात्र पाए गए थे। मौखिक साक्षात्कार के लिए. इस स्तर तक पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं है। याचिकाकर्ता आयोग के संबंधित सदस्यों द्वारा आयोजित मौखिक साक्षात्कार में भी उपस्थित हुए, जिन्होंने याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ संबंधित प्रतिवादियों का भी साक्षात्कार लिया। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को उक्त मौखिक साक्षात्कार में खुद को चयनित करने का मौका मिला। केवल इसलिए कि उन्होंने लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार दोनों में अपने संयुक्त प्रदर्शन के परिणामस्वरूप खुद को सफल नहीं पाया, उन्होंने यह याचिका दायर की है। यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि यदि कोई उम्मीदवार सोच-समझकर मौका लेता है और साक्षात्कार में उपस्थित होता है, तो, केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उसके लिए सुखद नहीं है, वह पलट नहीं सकता और बाद में यह तर्क नहीं दे सकता कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया। ओम प्रकाश शुक्ला बनाम अखिलेश कुमार शुक्ला के मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि जब याचिकाकर्ता बिना किसी विरोध के परीक्षा में शामिल हुआ और जब उसे पता चला कि वह परीक्षा में सफल नहीं होगा। उक्त परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका दायर की, उच्च न्यायालय को ऐसे याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं देनी चाहिए थी।"

मनीष कुमार शाही बनाम बिहार सरकार (2010) 12 एससीसी 576 में, इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों में निर्धारित सिद्धांत को दोहराया और कहा:

> "16. हम उच्च न्यायालय से भी सहमत हैं कि चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद यह अच्छी तरह से जानते हुए कि मौखिक परीक्षा के लिए 19% से अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं, याचिकाकर्ता चयन के मानदंड या प्रक्रिया को चुनौती देने का पात्र नहीं है।

> निश्चित रूप से, यदि याचिकाकर्ता का नाम मेरिट सूची में आया होता, तो उसने चयन को चुनौती देने के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होता। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल तब किया जब उसे पता चला कि उसका नाम आयोग द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची में नहीं है। याचिकाकर्ता का यह आचरण स्पष्ट रूप से उसे चयन पर प्रश्न उठाने से वंचित करता है और उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करके कोई त्रुटि नहीं की है।"

रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी (2013) 11 एससीसी 309 के मामले में, हाल ही में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने पहले के निर्णयों का पालन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया:

> उपर्युक्त निर्णयों में दिए गए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि चयन की प्रक्रिया में पूर्ण ज्ञान के साथ भाग लेने से कि भर्ती सामान्य नियमों के तहत की जा रही थी, प्रत्यर्थियों ने प्रश्न उठाने का अपना अधिकार छोड़ दिया था।

विज्ञापन या चयन करने के लिए बोर्ड द्वारा अपनाई गई पद्धति और उच्च न्यायालय की विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने प्रत्यर्थियों द्वारा की गई शिकायत पर विचार करके गंभीर त्रुटि की।"

(11) इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में असफल रहने के बाद आरक्षण और चयन के मानदंडों को चुनौती देने से रोका जाता है।

(12) अब यह न्यायालय इस मुद्दे को गुण-दोष के आधार पर भी निपटाने के लिए आगे बढ़ती है। याचिकाकर्ता का पूरा मामला दिनांक 18.9.2009 की अधिसूचना पर आधारित है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम 2008 की धारा 3, 4 और 6 और रोस्टर नियम 2009 द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। सरकार उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2008 के अधिनियम की धारा 3 और 4 की वैधता को कैप्टन गुरविंदर सिंह (सुप्रा.) के मामले में चुनौती दी गई थी और मामले का निर्णय करते हुए खंडपीठ ने 22.12.2010 को निम्नलिखित निर्णय पारित किया: -

> “19. मौजूदा मामले में, सरकार सरकार ने कोई अध्ययन नहीं किया है और न ही मात्रात्मक डेटा एकत्र किया है, जो आवश्यक है। जब कुछ समुदाय पहले से ही पिछड़े वर्ग में हैं, तो उन्हें पिछड़े वर्ग के अन्य लोगों की तुलना में क्या विशेष बनाता है, चोपड़ा समिति के संदर्भ में यह मुद्दा नहीं था, जब पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर बहिष्करण की अवधारणा मौजूद थी, तो ईबीसी को और अधिक आरक्षण प्रदान करने का कारण क्या था? किसी भी तुलनीय डेटा में स्पष्ट नहीं किया गया है। एम. नागराज (सुप्रा.),

> इंद्रा साहनी (सुप्रा.) और अशोक कुमार ठाकुर (सुप्रा.) के मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के मद्देनजर, हम निर्देश देते हैं कि सरकार अधिनियम की धारा 3 और 4 पर 2008 की अधिसूचनाओं के साथ-साथ फिर से विचार करेगी। सरकार सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों को मिले और इसे उसी वर्ग के वे लोग न हड़प लें जो पहले से ही उच्च आय वर्ग में आ चुके हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में उच्च आय वर्ग के लिए आरक्षण की परिकल्पना नहीं की गई है। सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा इंद्रा साहनी (सुप्रा.), एम. नागराज (सुप्रा.) और अशोक कुमार ठाकुर (सुप्रा.) के विभिन्न निर्णयों में निर्धारित कानून को ध्यान में रखेगा। सरकार आरक्षण की सीमा पर भी विचार करेगी जो वह उपरोक्त निर्णयों के आलोक में कर सकती है और मौजूदा से अधिक आरक्षण प्रदान कर सकती है। हम सरकार को 2008 के अधिनियम की धारा 3 और 4 और क्रीमी लेयर की वित्तीय सीमा को 2.5 लाख से 4.5 लाख तक बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना को प्रभावी नहीं करने का निर्देश देते हैं। सरकार को विशेष पिछड़ा वर्ग बनाने के प्रावधान, ईबीसी को भी 14% आरक्षण के प्रावधान पर पुनर्विचार करने दें।

(13) उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से संकेत मिलता है कि सरकार को 2008 के अधिनियम की धारा 3 और 4 और 18.9.2009 की अधिसूचना को प्रभावी नहीं करने का निर्देश दिया गया था। इसलिए, इस अधिसूचना से उत्पन्न होने वाले रोस्टर बिंदु न तो यहां हैं और न ही वहां हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता इस अधिसूचना के किसी भी लाभ का दावा करने की पात्र नहीं है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, अधिसूचना दिनांक 24.6.2008 तत्काल मामले में लागू है, और इस अधिसूचना दिनांक 24.6.2008 के रोस्टर बिंदुओं के अनुसार, प्रत्यर्थियों ने एसटी उम्मीदवारों को कुल पचास पदों के मुकाबले पांच पदों का आरक्षण प्रदान किया है। एसटी पुरुष या महिला उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त पद का लाभ प्रदान करने के लिए प्रत्यर्थी रोस्टर अंक से अधिक नहीं हो सकते हैं।

(14) चयन प्रक्रिया बहुत पहले पूरी हो चुकी थी और चयनित उम्मीदवारों को पार्टी प्रत्यर्थी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने असफल रहने पर पूरी चयन प्रक्रिया पर प्रश्न उठाया है। याचिकाकर्ता अपने पक्ष में कोई राहत देने का कोई मामला पेश करने में विफल रही है। याचिका गुणहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(15) स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, खारिज किये जाते हैं।

(अनूप कुमार ढंड) न्यायमूर्ति

.db/

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।